कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नैनीताल/अल्मोड़ा (हल्द्वानी)

ईमेल—cfontl.ukfs@gmail.com,

पत्रांकः—सीएफओ/अ0सु0—1/2022 दिनांक—मई 6 ,2022

सेवा में,

PRINCIPAL,
AHF&SSS LATE SHRI C S KHULBE GIC JALALI,
VILL & POST-JALALI, DISTT-ALMORA, UTTARAKHAND,

विषयः— अग्निसुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण—पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक एंव आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0—**95711990** दिनांकः—**25.04.2022** के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक:**26.04.2022** के अनुपालन में अग्निशमन अधिकारी रानीखेत द्वारा **AHF&SSS LATE SHRI C S KHULBE GIC JALALI, VILL & POST-JALALI, DISTT-ALMORA,** का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निसुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. परिसर में अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक **20 हजार** ली0 क्षमता का प्राविधान किया गया है।
2. परिसर में **04 अदद** एबीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर **04 किग्रा0** क्षमता का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त **संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है** साथ ही निर्देशित किया जाता है कि—

1. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार **NBC-2016** के **Part-04** में निहित मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
2. संस्थान/परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख—रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाय रखेगे।
3. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।
4. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (**Evacuation**) का ज्ञान होना आवश्यक है।
5. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस—पास तथा निकास मार्ग, भवन सैट बैक क्षेत्र में किसी समाग्री का भण्डारण नही किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नही की जायेंगी।
6. प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार (10 रू0 प्रति फायर एक्सटिंयूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क—(फायर सर्विस हैड **0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाये , 109 अग्नि से संरक्षण एव नियन्त्रण** कराया जायेगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण—पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण—पत्र नवीनीकृत नही कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्तः समझा जायेगा। **साथ ही प्रत्येक छः माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व—घोषणा प्रमाण—पत्र/SELF AUDIT REPORT प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।**
7. निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण—पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नही होगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तो का पालन किए जाने एवं **अग्निशमन अधिकारी रानीखेत द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक—अ0सु0व्यव0/FS RKT/2021 के आधार पर AHF&SSS LATE SHRI C S KHULBE GIC JALALI, VILL & POST-JALALI, DISTT-ALMORA,** को दिनांक—**06 मई 2022** से **05 मई 2025** तक **अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन** किए जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

6.5.22

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)